

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या... 8.07
दिनांक 8/5/19.....

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक :- प.35(1)गृह-9/2006पार्ट

जयपुर, दिनांक:-

3 MAY 2019

-: अधिसूचना :-

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि इस समय लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 की प्रक्रिया चल रही है। दिनांक 29.04.2019 को मतदान एवं दिनांक 23.05.2019 को मतगणना का कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित है। जिसके लिये पुलिस आयुक्त, जोधपुर द्वारा धारा 144 के तहत जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 24.05.2019 तक बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।


अतः पुलिस आयुक्त, जोधपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक पु.आ. जोध/विशा/विविध/2019/476 दिनांक 12.03.2019 की अवधि एतद्वारा दिनांक 24.05.2019 तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

- sd -
(पी.सी. बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव,
गृह विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस आयुक्त, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक पु.आ. जोध/विशा/विविध/2019/476 दिनांक 12.03.2019 एवं दिनांक 27.04.2019 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जोधपुर।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को दिनांक 3 MAY 2019 के आसाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सीडी।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग को उक्त अधिसूचना राजपत्र में आनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


(पी.सी. बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव,
गृह विभाग

उपरोक्त
3/5